संख्या-594/2023/3158/22-2-2023-17(784)/2023

प्रेषक,

मदन मोहन,

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 17 अक्टूबर, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मियादी उर्फ राममियादी सिंह पुत्र श्री विन्ध्याचल सिंह, निवासी जनपद-देवरिया वर्तमान जनपद-कुशीनगर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-23888/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-06.07.2023) दिनांक-24.07.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मियादी उर्फ राममियादी सिंह पुत्र श्री विन्ध्याचल सिंह, ग्राम-सुदामाचक, थाना-को0 हाटा, जनपद-देवरिया वर्तमान जनपद-कुशीनगर का निवासी है। जमीनी विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 24/25-06-1994 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा, पिस्टल, बम, रम्मा, फरसा व लाठी से मारकर सीताराम सिंह व सुरेन्द्र नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-184/1995 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 452, 427, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-04 देवरिया के आदेश दिनांक 11.06.2002 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.07.2003 द्वारा निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया, बन्दी द्वारा दिनांक 23.11.2022 तक अपरिहार 19 वर्ष, 06 माह 11 दिन तथा सपरिहार 23 वर्ष, 02 माह, 26 दिन की सजा भोगी गयी है, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा अपने सहयोगियों के साथ आग्नेयास्त्र से लैस होकर हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित किया गया है जिससे मौके पर अभी तनाव व्याप्त होने, समयपूर्व रिहा होने पर पुन: तनाव होने व अपराध करने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, समाज में गलत सन्देश जाने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि जमीनी विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 24/25-06-1994 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा, पिस्टल, बम, रम्मा, फरसा व लाठी से मारकर सीताराम सिंह व सुरेन्द्र नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मियादी उर्फ राममियादी सिंह पुत्र श्री विन्ध्याचल सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मियादी उर्फ राममियादी सिंह (बन्दी संख्या-143/2013) पुत्र श्री विन्ध्याचल सिंह, निवासी जनपद-देवरिया वर्तमान जनपद-कुशीनगर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

मदन मोहन

विशेष सचिव।

संख्या-594/2023/3158(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया/कुशीनगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) सं0-281/2022 मियादी सिंह उर्फ राममियादी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-09.01.2023 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-594/2023/3158/22-2-2023-17(784)/2023

दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मियादी उर्फ राममियादी सिंह पुत्र श्री विन्ध्याचल सिंह, ग्राम-सुदामाचक, थाना-को0 हाटा, जनपद-देवरिया वर्तमान जनपद-कुशीनगर का निवासी है। जमीनी विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 24/25-06-1994 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा, पिस्टल, बम, रम्मा, फरसा व लाठी से मारकर सीताराम सिंह व सुरेन्द्र नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-184/1995 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 452, 427,148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-04 देवरिया के आदेश दिनांक 11.06.2002 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.07.2003 द्वारा निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया, बन्दी द्वारा दिनांक 23.11.2022 तक अपरिहार 19 वर्ष 06 माह 11 दिन तथा सपरिहार 23 वर्ष, 02 माह, 26 दिन की सजा भोगी गयी है, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा अपने सहयोगियों के साथ आग्नेयास्त्र से लैस होकर हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित किया गया है जिससे मौके पर अभी तनाव व्याप्त होने, समयपूर्व रिहा होने पर पुन: तनाव होने व अपराध करने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, समाज में गलत सन्देश जाने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि जमीनी विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 24/25-06-1994 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा, पिस्टल, बम, रम्मा, फरसा व लाठी से मारकर सीताराम सिंह व सुरेन्द्र नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मियादी उर्फ राममियादी सिंह पुत्र श्री विन्ध्याचल सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in